

उत्तराखण्ड शासन  
 वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7  
 संख्या 153/XXVII(7)म0रा0/2009  
 देहरादून दिनांक 28 मई 2009

Government of Uttarakhand  
 Finance (G.R.-P.C.) Section-7  
 NO-153/XXVII(7)DR/2009  
 Dehradun Dated 28 May 2009

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

किसी राज्य सरकार के सिविल/परिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की शर्तों के लक्षण में,

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में यह ज्ञापन का विवरण है कि वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 420/XXVII(7)म0रा0/2008 दिनांक 27 अक्टूबर 2008 द्वारा दिनांक 1-7-2008 से महंगाई राहत 16 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है। क क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के सरकारी सिविल पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों के लिए उपभोग्य मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति को उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर 2008 में उल्लिखित करी का अतिरिक्त करत तुर 01 जनवरी 2009 से महंगाई राहत की एक अर प्रतिशत (अ प्रतिशत) की वृद्धि जान की संवध लीकरी प्रदान की जागी है। तदनुसार दिनांक 01 जनवरी 2009 से राहत की दर बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है।

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 420/XXVII(7)DR/2008, dated 27 Oct. 2008 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July 2008 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.68 (as on 01.01.1996) at the rate of 6% (Six Percent) with effect from 01 Jan. 2009 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 27 Oct.2008 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f 01-01-2009 has risen to 22%.

1- महंगाई राहत को एसी शर्तों पर जो एक रुपये से गुणांक में आश्रित होगा उस अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to next higher rupee.

3- यह आदेश यह राज्य न्यायालय के कार्यकारी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा भारतीय स्थानीय शिक्षकों तथा समाजिक न्यायन आदि के लक्षण पर लागू नहीं होग, अन्य संस्थानों के सम्बन्धित विभाग द्वारा अलग से आदेश भिन्न किया जाना अतिरिक्त होगा।

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- यह आदेश शिक्षा/प्रौद्योगिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य शिक्षा के अन्तर्गत प्रगत शिक्षण संस्थाओं के एक शैक्षिक वृत्त शिक्षण संस्थानों, निम्न शैक्षणिक संस्थानों के अन्तर्गत राज्य/परिवारिक पेंशनरों अनुमन्य है पर भी लागू नहीं।


4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/48/10(3)-81 दिनांक 27 अप्रैल 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुद्दानों के लिए महासचिव/कार के प्राधिकार पर ही निर्भर रहना नहीं है। अतः पेंशन मुद्दानों के अन्तर्गत महंगाई राहत का मुद्दान कर दिया जाय।

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252-X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत संबंधित करण के लक्षण में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनद्वारा से निर्धारित हो चुका है लागू रहेंगे।

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.


  
 सचिव

  
 Secretary

संख्या 153/XXVII(7)P/2009, तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जारी है-


- 1- सम्पूर्ण प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
- 2- सम्पूर्ण विभागाधिकारी/कार्यालयप्रमुख, उत्तराखण्ड
- 3- क्षेत्रीय अल्प निदेशक, काष्ठागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल
- 4- निदेशक, अधिसूचना को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, आदित्य भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनाएं एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय में प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा अधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित विभागाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रामालय, रुड़की को इस आशय में सूचना प्रेषित कि कृपया इस आशय में 500 प्रतियां मुद्रित करवाकर वित्त विभाग का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन सी डी, देहरादून।

आज्ञा पर  
  
(टी. एन. सिंह)  
अवर सचिव

No. 153/XXVII(7)P/2009, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttrakhand
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please
- 8- Director N.C., Dehradun

By Order  
  
(T. N. Singh)  
Addl. Secretary